



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या 914/D-25/जन२०
सेवा में,

दिनांक 9-7-20

अपर जिला मजिस्ट्रेट
जनपद-सम्भल।

विषय: खसरा/गाटा संख्या-80/81, ग्राम-सराय ब्रह्मण (एसएच-18) तहसील-गुन्नौर जिला-सम्भल पर
मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु अनापत्ति प्रमाण के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-719(IV)/एल०बी०सी०/इ०ऑ०का०लिमि०/अ०प्र०पत्र/2019-20
दिनांक 23.12.2019 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जो कि इस कार्यालय में दिनांक-01.01.2020 को प्राप्त हुआ है।
उक्त के संबंध में आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा
खसरा/गाटा 80/81, ग्राम-सराय ब्रह्मण (एसएच-18) तहसील-गुन्नौर जिला-सम्भल पर स्थापित किये जाने
के संबंध में आख्या चाही है, के संबंध में स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा,
वैज्ञानिक सहायक द्वारा दिनांक 20.06.2020 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न है)। निरीक्षण आख्यानुसार
रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु जिला प्रशासन के स्तर से जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण
पर पर्यावरणीय दृष्टि से निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित किया जाना उचित होगा:-

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में भण्डारण से किसी प्रकार का उत्प्रवाह एवं उत्सर्जन जनित
नहीं किया जाएगा। मात्र घरेलू मल-जल का निस्सरण सोकपिट/सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया
जायेगा तथा ऑयल भण्डारण से जनित Vapour की रोकथाम हेतु उचित व्यवस्था स्थापित की जाए।
 2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में डी.जी. सेट के एकारिस्टिक एन्क्लोजर एवं एग्जॉस्ट के चिमनी
की ऊँचाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में अधिसूचित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।
 3. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानों
का पालन करना सुनिश्चित करें। जनित होने वाले हैजार्डस वेस्ट को बन्द शेड में सुरक्षित तरीके से
भण्डारित किया जाये तथा समय से निस्तारण हेतु टी.एस.डी.एफ. को प्रेषित किया जाए।
- आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

संजय कुमार/Sanjay Kumar
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल) Senior Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय/Moradabad Divisional Office
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन० एच० 24
Opp. Cold Storage Delhi Road, N.H. - 24
श्री० राकेश, मुरादाबाद/244102 (उ० प्र०)
Moradabad - 244102 (U.P.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सम्भल के पत्र संख्या 719(IV)/एल0बी0सी0/इं0ऑ0का0लिमि0/अ0प्र0पत्र/2019-20 दिनांक 23.12.2019 के सन्दर्भ में खसरा/गाटा संख्या-80/81, ग्राम-सराय ब्रहामण (एसएच-18) तहसील-गुन्नौर जिला-सम्भल पर मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या:-

उपरोक्त संदर्भ में स्थल का निरीक्षण दिनांक 03.07.2020 को किया गया। स्थल निरीक्षण के समय श्री भुवनेश कुमार, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

1. मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु खसरा/गाटा संख्या-80/81, ग्राम-सराय ब्रहामण (एसएच-18) तहसील-गुन्नौर जिला-सम्भल पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
2. उक्त प्रस्तावित स्थल अक्षांश-28.202606 एवं देशांतर-78.493000 पर स्थित है। उक्त स्थल के पूर्व दिशा में सराय वाली चौराहा लगभग 200 मीटर तत्पश्चात् ग्राम-जुनावई लगभग 600 मीटर, पश्चिम दिशा में कृषि भूमि, उत्तर दिशा में गुन्नौर-बदायूं रोड लगभग 20 मीटर तत्पश्चात् कृषि भूमि एवं दक्षिण दिशा में ग्राम-सराय ब्रहामण लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है।
3. निरीक्षण के समय प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य होता नहीं पाया गया।
4. उक्त स्थल रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित पेट्रोल पम्प को जिला प्रशासन से जारी की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत होगा:-

- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में भण्डारण से किसी प्रकार का उत्प्रवाह एवं उत्सर्जन जनित नहीं किया जाएगा। मात्र घरेलू मल-जल का निस्सरण सोकपिट/सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जायेगा तथा ऑयल भण्डारण से जनित **Vapour** की रोकथाम हेतु उचित व्यवस्था स्थापित की जाए।
- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में डी.जी. सेट के एकास्टिक एन्क्लोजर एवं एग्जॉस्ट के चिमनी की ऊँचाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में अधिसूचित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।
- हैजार्ड्स वेस्ट (मेनेजमेन्ट, हैंडलिंग एण्ड ट्रान्सबाउन्ड्री मूवमेन्ट) रूल्स, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानों का पालन करना सुनिश्चित करें। जनित होने वाले हैजार्ड्स वेस्ट को बन्द शेड में सुरक्षित तरीके से भण्डारित किया जाये तथा समय से निस्तारण हेतु टी.एस.डी.एफ. को प्रेषित किया जाए।

उपरोक्तानुसार तथ्य एवं निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Anil Kumar
(अनिल कुमार विश्वकर्मा)

वैज्ञा0सहा0

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Sanjay Kumar
संजय कुमार/Sanjay Kumar
वीरू प्रबन्ध (रिटेल सेल) इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
मुख्यालय भण्डार कार्यलय/Moradabad Divisional Office
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन0 एन0 24
Opp. Cold Storage Delhi Road, N.H. - 24
पै0 पकबा, मुल्तानाबाद/244102 (वै0 प्रे0)
P.O. Pakba Moradabad - 244102 (U.P.)